



## वैश्विक आतंकवाद से निपटने के लिये भारत का 5-प्वाइंट फॉर्मूला

[drishtias.com/hindi/printpdf/india-5-point-formula-to-tackle-global-terrorism](http://drishtias.com/hindi/printpdf/india-5-point-formula-to-tackle-global-terrorism)

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने वैश्विक आतंकवाद से लड़ने के लिये संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच '5-प्वाइंट फॉर्मूला' प्रस्तुत किया है।

### 5-प्वाइंट फॉर्मूला क्या है?

- इस फॉर्मूले को न्यूयॉर्क में रीना मित्रा (विशेष सचिव, आंतरिक सुरक्षा) ने संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग सम्मेलन को संबोधित करते हुए आगे बढ़ाया।
- यह वैश्विक आतंकवाद से लड़ने के लिये भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया एक सूत्र है।
- इस फॉर्मूले में समय पर क्रियाशील बुद्धिमत्ता का आदान-प्रदान, निजी क्षेत्र के सहयोग से आधुनिक संचार के साधनों के दुरुपयोग की रोकथाम, बेहतर सीमा नियंत्रण हेतु क्षमता निर्माण, यात्रियों की आवाजाही से संबंधित जानकारी को साझा करना, वैश्विक आतंक से लड़ने के लिये संभावित काउंटर-आतंक के केंद्रबिंदु का पता लगाना आदि शामिल हैं।

### प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि अपने संबोधन में मित्रा ने किसी भी देश विशेष का नाम आतंकवाद से जोड़कर नहीं लिया।
- उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कमी के चलते भारत में आतंकवाद से निपटने के प्रयास विफल हो रहे हैं।
- इसके साथ ही सूचना और साक्ष्यों का आदान-प्रदान या भारतीय क्षेत्र से बाहर छिपे आरोपी व्यक्तियों के मामले में प्रत्यर्पण संधियों का पालन न करना तथा सीमापार आतंकवाद आदि भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले प्रमुख मुद्दे हैं।
- उन्होंने अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT) की प्रगति का उल्लेख भी किया।

### अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT)

- यह मसौदा वर्ष 1996 में भारत द्वारा तैयार किया गया था, जो आतंकवाद के खिलाफ व्यापक एवं एकीकृत कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- CCIT एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है जो हस्ताक्षरकर्ता देशों पर यह बाध्यता आरोपित करता है कि वे आतंकवादी संगठनों को वित्तीय सहायता अथवा शरण प्रदान नहीं करेंगे।
- इसमें प्रावधान है कि आतंकवाद की सार्वभौमिक परिभाषा हो, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी सदस्य देश अपने आपराधिक कानून में शामिल करेंगे।